I/69509/2022 **पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा श्री बद्रीनाथ धाम में सी0एस0आर0 मद के अन्तर्गत श्री बद्रीनाथ धाम परिक्षेत्रान्तर्गत देवदर्शनी स्थल के निर्माण कार्य के आगणन के अनुमोदनार्थ मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 04 अक्टूबर, 2022 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त**

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 04 अक्टूबर, 2022 में उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित थे :–

1. श्री आर0मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव, नियोजन/वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री सी0 रविशंकर, अपर सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. मेजर योगेन्द्र यादव, अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री दयानन्द, मुख्य अभियन्ता, पौडी गढवाल।
5. श्री गंगा प्रसाद पन्त, तकनीकी विशेषज्ञ, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
6. श्री विनोद कुमार, सलाहकार (अभियन्त्रण), राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।

1. **कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य** :– मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा श्री बद्रीनाथ धाम घोषित मास्टर प्लान के अन्तर्गत देवदर्शनी स्थल निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त देवदर्शनी स्थल के निर्माण से पर्यटकों को श्री बद्रीनाथ धाम के View का सुगमतापूर्वक अवलोकन एवं अन्य सुविधाओं का उपयोग किया जा सकेगा।
2. **भूमि की उपलब्धता** :– विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि योजना के निर्माण हेतु राजकीय भूमि के साथ–साथ निजी भूमि अधिग्रहण की जायेगी।
3. **योजना प्राविधान** :– परियोजना में निम्न प्राविधान किये गये है :–
   - 3.1 **Ground Floor**: - Male and Female Toilets 2 Nos, Electric Panel Room, Lift, Store Room 2 No. Stairs Case 2 Nos, Machine Room 2 Nos.
   - 3.2 **First Floor** :- Service Room, Lift, Stairs Case, Open Terrace, 2 Meter Wide Path Way in Balcony
   - 3.3 353 Meter Road Work
   - 3.4 Main Entrance Gate 1 Nos
   - 3.5 Parking 13 Vehicle
   - 3.6 External Development Work (Retaining Wall, Earth Filling, Path Way etc)
4. **व्यय वित्त समिति की बैठक में प्रस्तुतिकरण हेतु राज्य योजना आयोग का अभिमतः–**
   - 4.1 योजना का विभागीय समिति की बैठक दिनांक 08.09.2022 को सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में अनुमोदन प्रदान किया गया है।
   - 4.2 मिट्टी की Safe Bearing Capacity 2.00 एवं 2.50 मीटर गहराई पर क्रमशः 10.00 एवं 13.00 मी0टन प्रति वर्ग मीटर मानते हुए भवन का स्ट्रक्चरल डिजाइन किया गया है।
   - 4.3 भवन की सिविल कार्यों की लागत रू0 53,592.00 प्रति वर्ग मीटर है।
   - 4.4 योजना के इलेक्ट्रो मेकेनिकल कार्यों हेतु आंकलन में 7.5 प्रतिशत राशि ओ0 एण्ड एम0 के रूप में सम्मिलित की गयी है। उक्त धनराशि सम्बन्धित संचालित एवं रखरखाव संस्था को हस्तान्तरित की जानी होगी।

क्रमशः पृष्ठ–2/–

4.5 प्रस्तावित योजना की लागत का विवरण निम्नानुसार है :-

(धनराशि रू0 लाख में)

S. No.	Particular	DSR	SOR	NSI	NSI (Dept.)	Grand Total
1	Total Cost	472.68	351.38	405.27	8.28	1237.61
2	Add 4 % contingency & QC	18.90	14.05	16.21	-	49.16
3	Add 12 % GST on SOR Items		43.85			43.85
4	Add Smart Infrastructure, O&M & Deposit NSI	3.16	0.01	19.66	2.35	25.18
	Total	494.74	409.29	441.14	10.63	1355.80
	Grand Total			1355.80		

परियोजना की कुल लागत :- रू0 1355.80 लाख

5. **<u>व्यय वित्त समिति में विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय</u> :-**

प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति में विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी, व्यय वित्त समिति द्वारा आगणन में प्रस्तावित सभी कार्यों को निर्धारित मानकों के अनुसार क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिये गये।

पर्यटन विभाग के अनुरोध पर समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त के आलोक में प्रस्तर-4.5 के अनुसार रू0 1355.80 लाख के प्रस्ताव/आगणन **को निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमोदित किया गया** :-

5.1 भवन के प्रथम तल पर अत्यधिक वर्षा को दृष्टिगत रखते हुए Roof Projection को 02 मीटर चौडाई तक विस्तारित किया जाय।

5.2 हिल साईड में कटिंग/वैली साईड में आवश्यकतानुसार फिलिंग आदि करते हुए आर्मी उपकरणों एवं ट्रेलर आदि के सुगम/सुविधाजनक आवागमन हेतु रक्षा विभाग से सम्पर्क कर उनकी सहमति के अनुसार प्रवेश द्वार (Gate Way) की चौडाई एवं ऊँचाई का प्रविधान किया जाय।

5.3 कार्य कराये जाने से पूर्व अग्नि सुरक्षा एवं विद्युतीकरण आदि हेतु प्राविधानों को क्रमशः सम्बन्धित अग्नि सुरक्षा विभाग व विद्युत निरीक्षणालय आदि से वैट करा लिया जाय।

5.4 कार्य कराये जाने से पूर्व वास्तविक कार्य स्थल का Soil Investigation कराया जाये तथा भवन एवं रिटेनिंग वॉल का स्ट्रक्चरल डिजाइन कराते हुए किसी मान्यता प्राप्त संस्था से वैट अवश्य कराया जाय। Vetting के पश्चात् रिटेनिंग वॉल की वास्तविक लागत से प्रशासकीय विभाग एवं नियोजन विभाग को अवश्य अवगत कराया जाय।

5.5 आगणन में दरें एस0ओ0आर0 2021 एवं डी0एस0आर0 2018 (33 प्रतिशत Index) की ली गयी है, जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट्स में उपलब्ध नहीं है वे बाजार दरों पर आधारित है, बाजार की दरों पर आधारित मदों हेतु अधिप्राप्ति नियमावली-2017 एवं शासनादेश संख्या-103/ XXVII(7)32/2007टी0सी0-1 दिनांक 21 जुलाई, 2022 के अनुरूप कार्यवाही की जाये।

क्रमशः पृष्ठ-3/-

5.6 कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5.7 योजना क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक नियम एवं विनियमों (यथा एन0जी0टी0, Building Byelaws आदि) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5.8 निर्माण कार्य में स्ट्रक्चरल एवं Reinforce Steel हेतु शत–प्रतिशत प्राइमरी स्टील का ही प्रयोग किया जाय।

5.9 निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, रोडी, सीमेन्ट तथा सरिया, स्ट्रक्चरल स्टील एवं अन्य प्रयुक्त निर्माण सामग्री का आई0एस0 कोड के मानकों के अनुसार समय–समय पर NABL Accredited प्रयोगशाला में परीक्षण अवश्य कराया जाय।

5.10 निर्माण कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

5.11 मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग किया जाय तथा होने वाली बचतों से भी प्रशासकीय विभाग को अवगत कराया जाय।

5.12 योजना क्रियान्वयन में Cost Effectiveness एवं Energy efficiency के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

5.13 भवन में विद्युतीकरण, Plumbing and Fire Fighting के रख–रखाव में 05 वर्षो के अनुरक्षण हेतु 5 प्रतिशत धनराशि का प्राविधान किया गया है। अनुरक्षण हेतु Service Level Parameter निर्धारित करते हुए निविदा में उनका समावेश सुनिश्चित किया जाय तथा अनुबन्ध में अनुरक्षण के सम्बन्ध में Graded Penalty के प्राविधान का अवश्य समावेश किया जाय।

5.14 भवन में स्वतः स्वच्छता की निरन्तर व्यवस्था हेतु प्राविधान अवश्य किये जाय।

व्यय वित्त समिति के उपरोक्त क्रमांक 5.1–5.13 तक निहित शर्तो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

उक्त प्रतिबन्धों का समावेश इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले शासनादेश में अवश्यमेव कर लिया जाय।

अन्त में अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

Signed by R. Meenakshi Sundaram
Date: 10-10-2022 18:13:49

(आर0मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग)
संख्या 1435/पर्यटन विभाग/ई0एफ0सी0/रा0यो0आ0/2022
देहरादूनः दिनांकः 11, अक्टूबर, 2022

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रोग्रामर, राज्य योजना आयोग, को इस आशय से कि व्यय वित्त समिति के अनुमोदन को राज्य योजना आयोग की वेबसाइट में अपलोड करें।

(आर0मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव